(वाद सं0– 5377/4/23/2022)

08.08.2023

परिवादी, विजय साह, अपने विद्वान अधिवक्ता, किरण कुमारी गौड़, के साथ उपस्थित है।

परिवादी व उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, विजय साह, के ग्राम– भरत नगर, थाना–गायघाट, (बेनीबाद ओ0 पी0), जिला–मुजफ्फरपुर स्थित खाता संख्या–1476, खेसरा संख्या–8625, रकवा–08 डीसमिल में बने हुए उसके आवासीय घर को उसके विपक्षी दिलीप राय, एवं पुलिस प्रशासन द्वारा खाली कराने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई में उसकी पत्नी, नाबालिग पुत्री एवं स्वयं परिवादी, विजय साह, के साथ मारपीट करने तथा उसके पत्नी के गले से सोने का जितिया छीन लेने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर व वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित 'अंचलाधिकारी, गायघाट के प्रतिवेदनानुसार, एक ललिता देवी, के शिकायत की जाँच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि खाता संख्या–1476, खेसरा संख्या–8625, रकवा–2.25 डीसमिल भूमि के अंश भाग 1.5 डीसमिल पर परिवादी एवं अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अंचल अमीन के तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रपत्र–I एवं प्रपत्र–II में दिनांक–05.05.2022 को अतिक्रमित भूमि खाली करने का अंतिम नोटिस दिया गया। तत्पश्चात अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर द्वारा अतिक्रमित भूमि खाली कराने हेतु पुलिस बल की माँग की गई। पुलिस बल एवं उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष दिनांक–03.08.2022 को परिवादी के द्वारा अतिक्रमित 1.5 डीसमिल जमीन को खाली करा दिया गया।

प्रतिवेदन में इस बात को असत्य कहा गया है कि प्रशासन द्वारा परिवादी के निजी जमीन को खाली कराया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी, विजय साह, छह (6) भाई है तथा सभी भाईयों का पैतृक सम्पति/ जमीन का बराबर–बराबर मौखिक बँटवारा के हिसाब से सभी भाई अपने–अपने हिस्सें की जमीन पर घर बनाकर रह रहे है। परिवादी, विजय साह, अपने हिस्से की जमीन के अलावा कुछ सरकारी जमीन को अपने कब्जें में लेकर टाट–फूस का मकान बनाकर रह रहे थें। इसी क्रम में परिवादी के भाई, विनोद साह ने अपने हिस्से में मिले जमीन खाता संख्या–1476, खेसरा संख्या–8625, रकवा–08 डीसमिल जमीन को ललिता देवी, को विक्रय कर दिया। इस बात की जानकारी जब परिवादी, विजय साह, को हुई तो उसका अपने भाई एवं क्रेता ललिता देवी, से विवाद हो गया तथा इस बात को लेकर ललिता देवी, के द्वारा अंचलाधिकारी, को लिखित शिकायत किया गया। इसी शिकायत को लेकर तमाम वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए परिवादी के द्वारा अतिक्रमित सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया गया।

अब जबकि पुलिस द्वारा वैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन (पृष्ठ 06–05/प0) तथा वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन (पृष्ठ 08–06/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक